आर्डर Msc ayu

संख्याः 1749/38-5-2005-92ग्राम/03
टी0सी0-1

प्रेषक,

वी0के0 मित्तल
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
समस्त जनपद,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊ :: दिनॉक :: 08 अप्रैल,2005

विषयः समग्र विकास ग्रामों का प्रति सप्ताह मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा कैम्प करना।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं, समग्र ग्रामों का विकास शासन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। शासन द्वारा यह अनुभव किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अपेक्षित नेतृत्व का अभाव है तथा इस दिशा में कारगर समन्वित प्रयास आवश्यक है।

2- उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि, सभी मुख्य विकास अधिकारी प्रत्येक सप्ताह एक समग्र ग्राम में रात्रि विश्राम सहित कैम्प करेंगे तथा उस ग्राम में संतृप्तीकरण हेतु चिन्हित कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा, सम्बन्धित विकास विभागों के साथ करेंगे तथा आ रही बाधाओं को दूर करने की व्यवस्था भी करेंगे। इस कैम्प में स्थानीय समग्र ग्राम के कार्यों की समीक्षा के साथ उसी विकास खण्ड के अन्य समग्र ग्रामों के बारे में भी समीक्षा करेंगे तथा सम्बन्धित विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में कमियों को चिन्हित कर मण्डल स्तरीय अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों एवं शासन के सम्बन्धित विभागों के संज्ञान में भी लायेंगे।

3- प्रति सप्ताह भिन्न विकास खण्ड में कैम्प किया जाय। इस हेतु विकास खण्ड़ों का एक रोस्टर बना लिया जाय ताकि बारी-बारी सभी विकास खण्डों में कैम्प हों। उसी विकास खण्ड में दूसरे कैम्प की बारी आने पर पूर्व से भिन्न न्याय पंचायत में कैम्प किया जाय ताकि क्रमशः सभी क्षेत्र कैम्प से आच्छादित हो सकें।

4- कैम्प के दौरान अन्य महत्वपूर्ण एवं सामयिक पहलुओं की भी समीक्षा कर ली जाय। जैसे गर्मी के दौरान पेय जल की उपलब्धता तथा सूखा की स्थिति में राहत कार्यों की समीक्षा आदि।

5– प्रति सप्ताह कैम्प की रिपोर्ट आगामी सप्ताह के बुधवार तक प्रमुख सचिव मुख्य मंत्री, प्रमुख सचिव अम्बेदकर ग्राम्य विकास विभाग, ग्राम्य विकास आयुक्त तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्षों को भी भेजी जाय। पहली रिपोर्ट 20 अप्रेल, 2005 तक उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय,

(वी0 के0 मित्तल)
मुख्य सचिव

संख्या-1749(1)/30-5-2005-तद् दिनाँक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, अम्बेदकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समग्र ग्राम विकास से सम्बन्धित समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग।
6. समस्त मण्डलायुक्त/ समस्त जिलाधिकारी।

आज्ञा से,

(अतुल कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव